1

पत्रांक-अ0सं0क0-08-04/2002 903

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार राय
सरकार के उप सचिव

सेवामें,

जिला पदाधिकारी
पटना

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

पटना, दिनांक 30.9.2003

विषयः- जिलों में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास भवन के रख-रखाव व आवंटन के संबंध में दिशा-निदेश ।

महाशय,

जिला पदाधिकारी, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, भवन, संरचना प्रमंडल-1 पटना ने सूचना दी है कि पटना कॉलेज परिसर में छात्रों के लिए निर्माणाधीन छात्रावास बन कर तैयार है । उसके हस्तांतरण एवं आवंटन की प्रकिया पर निदेश मांगा गया है ।

2. जिला मुख्यालय औरंगाबाद में भी बन रहे छात्रावासों के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की सूचना है । वहाँ भी उसके रख-रखाव व आवंटन पर निदेश मांगे गये है ।

इस संबंध में सूचित करना है कि जिला स्तर पर एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति के गठन की प्रकिया एवं नियमावली सरकार के विचाराधीन है लेकिन उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए छात्रावासों की व्यवस्था रख-रखाव एवं छात्रों के बीच आवंटन पर तदर्थ व्यवस्था हेतु निम्न निदेश निर्गत किये जाते हैः-

संचालन

3.(i) छात्रावासों का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार गठित संचालन समिति के द्वारा किया जायेगा :-

(क) जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारी — अध्यक्ष

(ख) सभी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौध) के प्रमुख शिक्षाविद् — 3 सदस्य .

(ग) जिला के महाविद्यालयों के प्राचार्यो में से एक जो अल्पसंख्यक समुदाय के हो । — सदस्य

(घ) जिला मुख्यालय के अल्पसंख्यक समुदाय के एक गणमान्य व्यक्ति — सदस्य

जिला पदाधिकारी उपर्युक्त 'ख' 'ग' एवं 'घ' पर अंकित सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पैनल राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजेगें तथा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त उन्हें मनोनीत किया जायेगा । इनमें से एक को सचिव का कार्य करने के लिए मनोनीत किया जायेगा । विशेष परिस्थिति में सरकार

के अनुमोदन की प्रत्याशा में सदस्य एवं सचिव का मनोनयन वे कर सकेंगे पर इस व्यवस्था का सरकार से शीघ्र अनुमोदन करा लेना होगा ।

(ii). जिन छात्रावासों का निर्माण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में हो रहा है, उनका प्रभार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया जाए । विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय प्रशासन उनका संचालन एक संचालन समिति का गठन कर करेगी ।

(iii). संचालन समिति छात्रावास के लिए प्रवेश, अधीक्षक के पद पर किसी अंगीभूत महाविद्यालय के नियमित शिक्षक की नियुक्ति, छात्रावास का किराया, कोष का प्रबंधन आदि कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी ।

प्रवेश

(iv). इन छात्रावासों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में शिक्षारत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दाखिला दिया जा सकेगा ।

(v). पटना में निर्मित छात्रावास में पटना विश्वविद्यालय के छात्र लाभान्वित होंगे पर 40 प्रतिशत सीट पटना अवस्थित अन्य महाविद्यालय के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगा ।

(vi). दाखिला का आवेदन शिक्षारत महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा से संचालन समिति को उपलब्ध कराना होगा । दाखिला के लिए रिक्ति से अधिक आवेदन होने पर पूर्व विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्णय लिया जाएगा । दाखिला के बिन्दु पर संचालन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(vii). छात्रावासों के छात्रों के लिए परिचय पत्र अलग से संचालन समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं छात्रावास के सूचना पट्ट पर सभी छात्रों का नाम, पता, महाविद्यालय का नाम एवं वर्ग अंकित कर कमरा वार सूची बद्ध कर दिया जायेगा ।

शुल्क का निर्धारण

(viii). चूँकि छात्रावास के रख-रखाव पर कोई भी व्यय कर्णांकित नहीं है, इसलिए इसका संचालन 'न लाभ न हानि' के आधार पर होगा ।

(ix). छात्रों से रूम रेंट, कॉशन मनी, कामन रूम चार्ज तथा विद्युत प्रभार आदि का शुल्क वसूलनीय होगा जिसका निर्धारण संचालन समिति कर सकेगी जिससे कि छात्रावासों के लघु या वृहद रख-रखाव किया जा सकेगा ।

(x). छात्रों के लिये छात्रावास में ही भोजन की व्यवस्था रहेगी जिसके लिये संचालन समिति व छात्र मेस का संचालन स्वयं कर सकेंगे जिसका शुल्क छात्रों से वसूलनीय होगा । भोजन की गुणवत्ता का प्रबोधन संचालन समिति द्वारा किया जायेगा ।

(xi). छात्र/छात्राओं का दाखिला एक बार में एक वर्ष के लिए होगा तथा वार्षिक अवकाश व विश्वविद्यालय परीक्षा के बाद उसे स्वतः खाली कर देना होगा ।

(xii). अनुत्तीर्ण छात्रों का छात्रावास में दाखिला स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

4. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 2/10

सरकार के उप सचिव

903 पटना, दिनांक 30.9.2003

प्रतिलिपि-कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना/मगध विश्वविद्यालय, गया/वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बी०आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 903

पटना, दिनांक 30.9.2003

प्रतिलिपि- राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 903

पटना, दिनांक 30.9.2003

प्रतिलिपि-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव